डिस्कलेमर

आदेश संख्या 41/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- IX

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 41/2023-24

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की तारीख: 15 मार्च, 2024

विषय : स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति के संबंध में मौजूदा टैरिफ 30.09.2024 तक वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

यह निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (आईएसपी)/हवाईअड्डा प्रचालकों (एओ) द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ 31.03.2024 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को जारी रखने के संबंध में है:-

तालिका -I

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	हवाईअड्डा
(क)	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं	
1	एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई)	बैंगलुरू
2	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
3	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	जयपुर
4	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर

5	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
6	जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल)	मोपा, गोवा
7	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस)	चेन्नई
8		मंगलौर
9		श्रीनगर
10		त्रिचि
11		पटना
12		पुणे
13		अमृतसर
14		भुवेनश्वर
15		डेबोलिम, गोवा
16		गुवाहाटी
17		जयपुर
18		लखनऊ
19		त्रिवेन्द्रम
20		वाराणसी
21		कोलकाता
(ख)	**फ्यूल फार्म और आईटीपी सेवाएं**	
22	बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	कन्नूर
23	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	मोपा, गोवा
(ग)	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**	
24	ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड	श्रीनगर
25	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	चेन्नई
26		कालीकट
27		कोलकाता
28		अहमदाबाद

29	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	कोचीन
30		गुवाहाटी
31		अमृतसर
32		भुवनेश्वर
33		चंडीगढ़
34		डेबोलिम, गोवा
35		जयपुर
36		पटना
37		पुणे
38		वाराणसी
39		लखनऊ

2. प्राधिकरण ने दिनांक 27.09.2023 के अंतरिम टैरिफ आदेश संख्या 20/2023-24 द्वारा कुछ हवाईअड्डा प्रचालकों/ स्वंतत्र सेवा प्रदाताओं के लिए कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमानों में ईंधन की आपूर्ति (इंटो प्लेन और फ्यूल फार्म सेवाओं सहित) से संबंधित सेवाओं के लिए 01.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ (30.09.2023 को विद्यमान) की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए जारी नियमित टैरिफ आदेशों की वैधता 31.03.2024 को समाप्त हो रही है।

3. कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं के संबंध में कुछ सेवाओं प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का कार्य अभी जारी है। जबकि अन्य सेवा प्रदाताओं से एमवाईटीपी अभी प्राप्त होने हैं।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को लगता है कि पूर्वोक्त सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त तालिका-1 के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों को 31.03.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.04.2024 से 30.09.2024** तक की अगले छ: (6) माह की अवधि, या पूर्वाक्त सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति दी जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका-1 में सूचीबद्ध विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधा/ग्राउंड हैंडलिंग/ विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों** को 31.03.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.04.2024 से 30.09.2024 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि, या ऊपर उल्लिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित 'प्रमुख हवाईअड्डों' पर प्रचालन कर रहे संबंधित स्वतंत्र सेवा प्रदाता एमवाईटीपी/एटीपी समय पर प्रस्तुत करें।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता अधिकारी

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (संलग्नक I और II के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003**